

तारीख हुवा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

फूलचन्द मीना बनाम लोक सूचना अधिकारी(अति.संभागीय आयुक्त) जयपुर  
अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2023/229

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो  
हुकम की तामी  
जारी हुए

25.07.23

पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी पत्रांक एफ - 19(1)(15)आरटीआई/2023/276 दिनांक 17.07.2023 प्राप्त। जिसमें उन्होंने अंकित किया है कि कार्यालय के सभी मंत्रालयिक कर्मचारी दिनांक 20.04.2023 से दिनांक 06.06.2023 तक सामुहिक अवकाश/हड़ताल पर होने के कारण अपीलार्थी को सूचना विलम्ब से दी गई तथा 19 पृष्ठ की सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। अपील खारिज कराने का श्रम करावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया जिससे जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 195 दिनांक 16.06.223 द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(अन्तरसिंह नेहरा)

संभागीय आयुक्त  
जयपुर